



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2006/चैत्र 1, 1928

No. 40]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2006/CHAITRA 1, 1928

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2006

सं. 502/70/के.वि.प्रा./डीपी एंड डी.—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 की उप-धारा (1) तथा धारा 177 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 73 के अनुच्छेद (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मीटरों के अधिष्ठापन तथा प्रचालन के विनियमन हेतु निम्नलिखित विनियम तैयार करता है, नामशः—

1. अल्प नाम तथा प्रारम्भ.—

- (1) ये विनियम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के नाम से जाने जाएंगे।
- (2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—

- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-
- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है विद्युत अधिनियम, 2003,
- (ख) "मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला" से अभिप्राय है एक परीक्षण प्रयोगशाला जिसे नेशनल एक्क्रेडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड केलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (एन ए बी एल) द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो,
- (ग) "सक्रिय ऊर्जा" से अभिप्राय है एक समय अंतराल में सक्रिय विद्युत ऊर्जा की मात्रा की आपूर्ति अथवा उपभोग (खपत), यह समय के सापेक्ष सक्रिय शक्ति का समाकलन है, इसकी इकाई 'वाट घंटा' या इसके मानक गुणक हैं 'एक किलोवाट घंटा', एक यूनिट कहलाता है,
- (घ) "सक्रिय शक्ति" से अभिप्राय उस विद्युत शक्ति से है जो कि वर्ग माध्य मूल (आर.एम.एस.) वोल्टता, वर्ग माध्य मूल (आर.एम.एस.) विद्युत धारा तथा वोल्टता एवं विद्युत धारा वेक्टरों के बीच में फेजकोण के कोटिज्या

- (इ) (कोसाइन) का गुणनफल है इसकी इकाई वाट या उसके मानक गुणक है।
“उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र” से अभिप्राय है “राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र” (एन एल डी सी) अथवा “क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र” (आर एल डी सी) अथवा “राज्य भार प्रेषण केन्द्र” (एस एल डी सी), जैसा भी संदर्भ हो;
- (च) “उपयुक्त प्रसारण यूटिलिटी” से अभिप्राय है “केन्द्रीय प्रसारण यूटिलिटी” (सी टी यू) या “राज्य प्रसारण यूटिलिटी” (एस टी यू) जैसा भी संदर्भ हो;
- (छ) “उपलब्धता आधारित टैरिफ” (ए बी टी) से अभिप्राय है उत्पादन यूनिटों की उपलब्धता पर आधारित एक टैरिफ संरचना तथा जिसके क्षमता प्रभार (सी सी), ऊर्जा प्रभार (ई सी) या परिवर्तनशील प्रभार (वी सी) तथा अनिर्धारित विनिमय (यू आई), घटक हों;
- (ज) “ग्राहक” से अभिप्राय है कोई उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी अथवा उपभोक्ता जिसकी प्रणाली उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी की प्रणाली से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करती है;
- (झ) “चैक मीटर” से अभिप्राय है एक मीटर जो करंट ट्रांसफार्मर (सी टी) तथा वोल्टता ट्रांसफार्मर (वी टी) की उन कोशों से जुड़ा हो जिनसे मुख्य मीटर सम्बद्ध हो तथा इसका उपयोग मुख्य मीटर की विफलता की स्थिति में विद्युत के लेखन तथा बिलिंग के लिए किया जाएगा;
- (ण) “उपभोक्ता मीटर” से अभिप्राय है उपभोक्ता को संभरित विद्युत के लेखन तथा बिलिंग के लिए प्रयुक्त एक मीटर लेकिन उन उपभोक्ताओं को छोड़कर जो इंटरफेस मीटरों के तहत आते हैं;
- (त) “संशुद्ध मीटर” से अभिप्राय है एक मीटर जिसमें कम से कम ये विशेषताएं होंगी- परिशुद्धता श्रेणी तथा इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए मीटरों के अधिष्ठापन तथा प्रचालन के मानकों के अनुस्यू विनिर्देश;
- (थ) “इनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर” से अभिप्राय है विद्युत प्रणाली के विभिन्न हिस्सों के लिए विद्युत के अकाउंटिंग एवं ऑडिट के लिए प्रयुक्त मीटर ताकि एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान इनमें हुई खपत तथा ऊर्जा क्षति का निर्धारण करने के लिए और विश्लेषण किया जा सके;
- (द) “इस्ट्यूमेट ट्रांसफार्मर” से अभिप्राय है “करंट ट्रांसफार्मर” (सी टी), “वोल्टता ट्रांसफार्मर” (वी टी) तथा “कैपेसिटर वोल्टता ट्रांसफार्मर” (सी वी टी);
- (ध) “इंटरफेस मीटर” से अभिप्राय है विद्युत के लेखन एवं बिलिंग हेतु प्रयुक्त मीटर जो कि उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी तथा उन उपभोक्ताओं की विद्युत प्रणाली के बीच अंतःसंयोजन के बिन्दु पर संयोजित, अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली या अंतरराज्यीय (इन्ट्रास्टेट) प्रसारण प्रणाली जो ए.बी.टी. के अंतर्गत सम्मिलित है तथा उपयुक्त आयोग द्वारा जिसे ओपन एक्सेस की अनुज्ञा है, से सीधे ही जुड़ा है;
- (न) “मुख्य मीटर” से अभिप्राय है एक मीटर जिसका प्रयोग मुख्यतः विद्युत के अकाउंटिंग तथा बिलिंग के लिए होता है;

- (प) "मीटर" से अभिप्राय है विद्युत के मापन, प्रदर्शन तथा अभिलेखन या वैद्युत प्रणाली से संबंधित कोई अन्य प्रमात्रा के लिए उपयुक्त उपकरण तथा जिसमें जहाँ पर लागू हो इस प्रकार के प्रयोजन के लिए इस तरह के ये उपकरण सम्मिलित होंगे- करंट ट्रांसफार्मर (सी टी), वोल्टता ट्रांसफार्मर (वी टी) अथवा कैपेसिटर वोल्टता ट्रांसफार्मर (सी वी टी);
- (फ) "पावर फैक्टर" से अभिप्राय है एक प्रत्यावर्ती धारा (ए सी) वैद्युत परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा वेक्टरों के बीच वैद्युत कोण का कोटिज्या (कोसाइन);
- (ब) "प्री-पेड मीटर" से अभिप्राय है एक मीटर जो केवल अग्रिम भुगतान के पश्चात् ही विद्युत के उपभोग की सुविधा दे;
- (भं) "प्रतिघाती ऊर्जा" से अभिप्राय है समय के सापेक्ष प्रतिघाती शक्ति का समाकलन तथा "प्रतिघाती वोल्ट एम्पियर घंटा" (वी ए आर एच) अथवा तत्संबंधी मानक गुणक की इकाइयों में आमापित;
- (म) "प्रतिघाती विद्युत शक्ति" से अभिप्राय है वर्ग माध्य मूल (आर एम एस) वोल्टता, वर्ग माध्य मूल (आर एम एस) विद्युत धारा तथा वोल्टता काम्प्लेक्सर तथा धारा काम्प्लेक्सर के बीच वैद्युत फेज कोण की ज्या (साइन) का गुणनफल, "वोल्ट एम्पियर प्रतिघाती" (वी ए आर) तथा तत्संबंधी मानक गुणक में आमापित;
- (य) "मानक" से अभिप्राय है इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए "मीटरों के अधिष्ठापन एवं प्रचालन पर मानक" जब तक किसी अन्य मानक का उल्लेख न किया गया हो;
- (र) "स्टैंड बाई मीटर" से अभिप्राय है मुख्य मीटर तथा चैक मीटर से सम्बद्ध सी टी तथा वी टी के अतिरिक्त किसी दूसरे सी टी तथा वी टी से संयोजित एक मीटर जो मुख्य मीटर एवं चैक मीटर, दोनों के विफल हो जाने की स्थिति में विद्युत ऊर्जा के अकाउन्टिंग तथा बिलिंग के लिए उपयोग में लाया जाएगा;
- (ल) "संभरक" से अभिप्राय है कोई भी उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी जिसकी प्रणाली से किसी अन्य उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी अथवा उपभोक्ता की प्रणाली को विद्युत का प्रवाह होता है;
- (व) "टाइम ऑफ द डे (टी.ओ.डी.) मीटर" से अभिप्राय है दिन की विनिर्दिष्ट समय अवधियों के दौरान विद्युत का अभिलेखन एवं खपत दर्शाने वाला एक मीटर,

- (2) प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जिनको इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, के लिए अधिनियम में इनके लिए जो अर्थ दिए गए हैं वही अर्थ होंगे ।

3. विनियमों की प्रयोज्यता (एप्लिकेबिलिटी ऑफ रेग्यूलेशनस)

- (1) ये विनियम सभी उत्पादन कंपनियों, लाइसेंसधारी जो विद्युत के उत्पादन, प्रसारण, विपणन, वितरण तथा आपूर्ति के व्यवसाय में लगे हैं, द्वारा अधिष्ठापित तथा अधिष्ठापित किए जाने वाले मीटरों के लिए तथा उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए लागू होंगे ।
- (2) इन विनियमों के लागू हो जाने के पश्चात इस संबंध में मीटरों के अधिष्ठापन तथा प्रचालन से संबंधित भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।
- (3) ये विनियम विद्युत ऊर्जा के संशुद्ध लेखन, बिलिंग तथा लेखा परीक्षा के लिए निम्नलिखित मीटरों के संबंध में मीटरों के प्रकार, मानक, स्वामित्व, स्थलन, परिशुद्धता श्रेणी (एक्यूरेसी क्लास), अधिष्ठापन, प्रचालन, परीक्षण एवं अनुरक्षण, पहुँच, सीलिंग, सुरक्षा, मीटर पठन तथा रिकॉर्डिंग, मीटर विफलता अथवा विसंगतियाँ (डिस्क्रीपेन्सीज), छेड़-छाड़ रोधी (एन्टी-टैपिंग) विशेषताओं, गुणवत्ता आश्वासन, मीटरों के अंशशोधन तथा आवधिक परीक्षण, अतिरिक्त मीटर तथा नई प्रौद्योगिकियाँ अपनाने हेतु प्रावधान करते हैं:-

- (i) इंटरफेस मीटर
- (ii) उपभोक्ता मीटर
- (iii) इनर्जी अकाउन्टिंग एवं ऑडिट मीटर

4. मीटरों के प्रकार. -

- (1) सभी इंटरफेस मीटर, उपभोक्ता मीटर तथा इनर्जी अकाउन्टिंग एवं ऑडिट मीटर स्थैतिक प्रकार के होंगे ।
- (2) इन विनियमों के अनुरूप जो मीटर नहीं होंगे उन्हें लाइसेंसधारी द्वारा स्वयं ही अथवा उपभोक्ता के अनुरोध पर अधिष्ठापित किया जाएगा । इन मीटरों को उपयुक्त आयोग के विनियमों या निर्देशों अथवा उपयुक्त सरकार के सुधार कार्यक्रम के अनुसरण में भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है ।

5. मानक (स्टैंडर्ड्स). -

सभी इंटरफेस मीटर, उपभोक्ता मीटर तथा इनर्जी अकाउन्टिंग एवं ऑडिट मीटर इस प्रकार के होंगे:-

(क) भारतीय मानक संस्था (बी आई एस) के संगत मानकों का अनुपालन करेंगे, अगर एक विशेष उपस्कर या सामग्री के लिए बी आई एस मानक उपलब्ध नहीं है तो संगत ब्रिटिश मानक (बी एस), अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई.ई.सी.) मानक अथवा किसी अन्य समस्तर मानकों का अनुपालन किया जाएगा, शर्त यह होगी कि जब कभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक या आई.ई.सी. मानक का अनुपालन किया जाता है तो अभिहित (नोमिनल) प्रणाली आवृत्ति, अभिहित (नोमिनल) प्रणाली वोल्टता, परिवेशी (एम्बिएन्ट) तापमान, आर्द्रता तथा उक्त मानक को वास्तव में अपनाने से पूर्व भारत में विद्यमान अन्य परिस्थितियों के लिए आवश्यक संशुद्धियाँ या संशोधन करने होंगे,

(ख) इन विनियमों के साथ अनुबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय-समय पर यथा-संशोधित "मीटरों के अधिष्ठापन तथा प्रचालन" मानकों के अनुरूप होंगे ।

6. मीटरों का स्वामित्व:-

(1) इंटरफेस मीटर

(क) विद्युत लेखन तथा बिलिंग के प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली (आई एस टी एस) के साथ अंतःसंयोजन के बिन्दुओं पर अधिष्ठापित सभी इंटरफेस मीटर सी टी यू के स्वामित्व में होंगे ।

(ख) विद्युत लेखन तथा बिलिंग के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त उपधारा (क) के अंतर्गत सम्मिलित प्रणाली के अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय (इन्टरस्टेट) प्रसारण प्रणाली के साथ अंतःसंयोजन के बिन्दुओं पर अधिष्ठापित सभी इंटरफेस मीटरों का स्वामित्व एस टी यू का होगा ।

(ग) विद्युत लेखन तथा बिलिंग के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त उपधारा (क) तथा (ख) में सम्मिलित मीटरों के अतिरिक्त दो लाइसेंसधारियों के बीच अंतःसंयोजन के बिन्दुओं पर अधिष्ठापित सभी इंटरफेस मीटर प्रत्येक सिरे पर संबंधित लाइसेंसधारी के स्वामित्व में होंगे ।

(घ) विद्युत लेखन तथा बिलिंग के प्रयोजन के लिए अन्तः संयोजन के बिन्दुओं पर अधिष्ठापित सभी इंटरफेस मीटर जो उपर्युक्त उप-धारा (क), (ख) व (ग) के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं का स्वामित्व विद्युत सम्भारक का होगा ।